उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 15.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

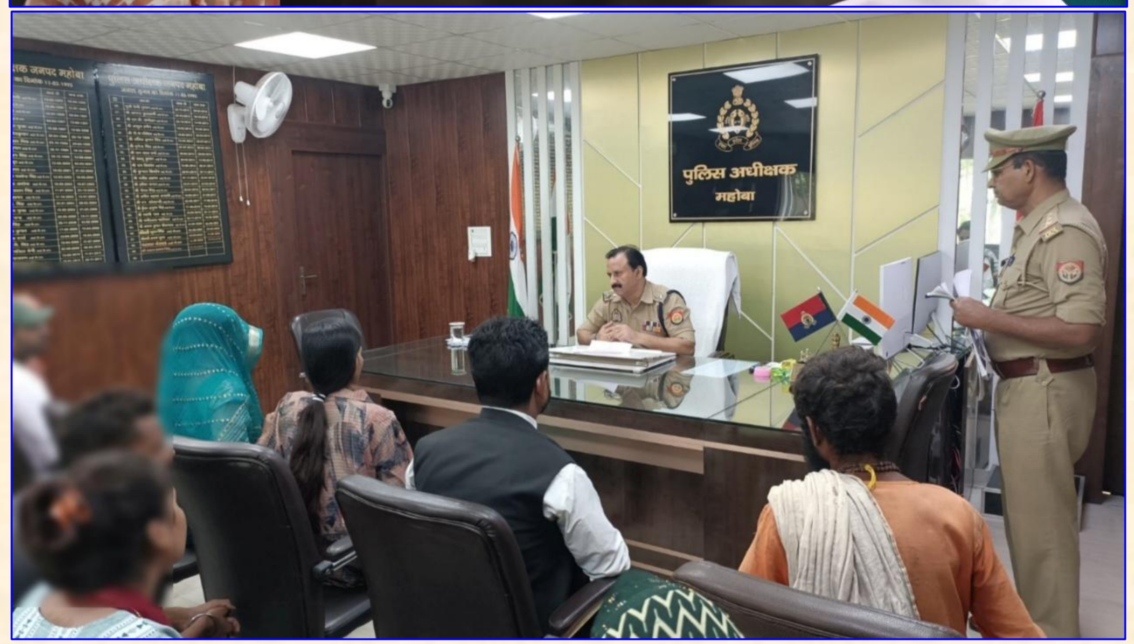

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 15.07.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी ली गयी, टोलीवार निरीक्षण एवं ड्रिल करायी गयी, रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित कर अनुशासन एवं स्वच्छता का पढाया पाठ -

आज दिनांक- 15.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी ली गई। परेड उपरांत टोलीवार निरीक्षण एवं अनुशासन हेतु टोलीवार ड्रिल कराई गई। पुलिस कर्मियों की शारीरिक व मानसिक दृढ़ता के लिए दौड़ भी आयोजित की गई।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन महोबा में जनरल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस बल की गरिमा और कर्तव्यनिष्ठा के महत्व को रेखांकित करते हुए अनुशासन, एकरूपता, स्वच्छ एवं सही ढंग से वर्दी धारण करना, परिसर की स्वच्छता बनाए रखना जैसे मूलभूत बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक उत्तरदायी पुलिस कर्मी न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपने आचरण एवं व्यक्तित्व से भी समाज में विश्वास का प्रतीक होता है।

परेड के बाद अर्दली रूम कार्यवाही के दौरान गार्द रजिस्टरों की जांच की गई तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक/आरआई महोबा श्री शिवकुमार को निर्देशित किया गया कि वे चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के दृष्टिगत परेड ग्राउंड एवं सम्पूर्ण पुलिस लाइन परिसर को साफ-सुथरा बनाए रखने के साथ-साथ अन्य कमियों का अवलोकन कर उन्हें शीघ्र दुरुस्त कराएं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न आने पाए।

मंगलवार परेड

Mahoba Police

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने 39 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 14.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 सूर्यभान सिंह मय के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त महेन्द्र पुत्र पन्नालाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0मु0 इन्द्रा नगर थाना कबरई महोबा को रोशन सिंह बदन सिंह डिग्री कालेज के पहले बीजा रोड के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अदद सफेद प्लास्टिक की बोरी में 21 अदद देशी क्वार्टर शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद हुई।

उ0नि0 अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने एक नफर रामगोपाल पुत्र कामता प्रसाद उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम पहरा थाना कबरई महोबा को रेलवे स्टेशन कबरई के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अदद सफेद रंग की बोरी में 18 अदद देशी क्वार्टर शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद हुई।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कबरई में क्रमशः मु0अ0स0 201/2025 व मु0अ0स0 202/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सूर्यभान सिंह 2. का0 राहुल अग्निहोत्री

1. उ0नि0अनुज कुमार सिंह 2. हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद 3. हे0का0 अरविन्द कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. महेन्द्र पुत्र पन्नालाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0मु0 इन्द्रा नगर थाना कबरई महोबा
2. रामगोपाल पुत्र कामता प्रसाद उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम पहरा थाना कबरई महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 14.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह व हे.का. रामबाबू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत लिंक रोड बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे बहद ग्राम खन्ना के पास से अभियुक्त राकेश पुत्र रमेश यादव उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कुलकुआं थाना खन्ना जिला महोबा को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से एक सफेद नीली बोरी में 45 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना खन्ना में 81/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश पुत्र रमेश यादव उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कुलकुआं थाना खन्ना जनपद महोबा

बरामदगी का विवरणः-

एक सफेद नीली बोरी में 45 अदद क्वाटर ठेका देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ. नि. लक्ष्मीनारायण सिंह
2. हे.का. रामबाबू

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 14.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोक कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह व म0उ0नि0 दीक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के थलौरा–बम्हौरी कुर्मिन तिराहे के पास से बहद ग्राम बम्हौरी कुर्मिन से अवैध शराब लिये 01 नफर अभियुक्त श्यामलाल पुत्र कमला अनुरागी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम धवार थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 - 113/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. म0उ0नि0 दीक्षा

गिरफ्तार अभियुक्त-

श्यामलाल पुत्र कमला अनुरागी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम धवार थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी का विवरणः-

एक बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्रांण्ड नाजायज बरामद

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 15.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांकः- 14.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठिती की गयी उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह का0 आर्यन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त भानु प्रताप पुत्र मुरलीधर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम अस्थौन थाना चरखारी जनपद महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत मेला ग्राउंड कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा से एक अदद बोरी में 20 अदद क्वार्टर कागजी पेपर देशी शराब ठेका नाजायज ब्राण्ड झूम के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 147/2025 धारा 60 Ex Act का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. का0 आर्यन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

भानु प्रताप पुत्र मुरलीधर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम अस्थौन थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी

एक अदद बोरी में 20 अदद क्वार्टर कागजी पेपर देशी शराब ठेका नाजायज ब्राण्ड झूम

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने

01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 15.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 142/25 धारा 64(2)/74/352/351(3)बीएनएस व 66ई आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त आकाश रावण पुत्र राजबहादुर वर्मा उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मुहल्ला चन्द्रावन रोड़ विशाल नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम पवा थाना श्रीनगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आकाश रावण पुत्र राजबहादुर वर्मा उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मुहल्ला चन्द्रावन रोड़ विशाल नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO श्री अवधेश कुमार मिश्र
2. हे0कां0 ओमप्रकाश
3. कां0 विवेक दिवाकर

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

नाबालिक से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप ए.एस.जे/विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा द्वारा नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना करित करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 60 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2023 धारा 376(3)/504/506 भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट व SC/ST Act. से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र वीर सिंह राजपूत निवासी अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा को दोषसिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹ 60 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमती हर्षिता गंगवार
क्षेत्राधिकारी, महोबा (विवेचक)

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक

कां0 शिवम सागर मिश्रा
पैरोकार थाना अजनर

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम. कोर्ट चरखारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 524/2010 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त रामबचन पुत्र जयकरन चौरसिया निवासी विलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

आ0. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा